/

[2022] 13 एस. सी. आर. 554

/

[2022] 13 एस सी आर।

/

कपिल कुमार

बनाम

राज कुमार

(2022 की सिविल अपील संख्या 5854)

/

14 अक्टूबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss.4 और 118-वचन पत्र-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ यह तर्क देते हुए वसूली का मुकदमा दायर किया कि प्रत्यर्थी ने रु। उससे 1 लाख रुपये और अपीलार्थी के पक्ष में एक प्रो-नोट भी निष्पादित किया-प्रत्यर्थी ने प्रो-नोट के निष्पादन से इनकार किया और यह रुख अपनाया कि उसके द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया था-निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया-प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया डिक्री-उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अनुज्ञात गई दूसरी अपील कि प्रो-नोट के गवाह को प्रमाणित करने की जांच नहीं की गई थी और इसलिए, प्रो-नोट की सामग्री साबित नहीं हुई थी-आयोजितः उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को परेशान करने में गलती की-यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए विधि के सारगर्भित प्रश्न को भी विधि के ऐसे प्रश्न के विरचित में नहीं कहा जा सकता है जो विधि का बहुत कम सारगर्भित प्रश्न है-गुण-दोष पर भी, प्रो-नोट पर प्रतिवादी का हस्ताक्षर स्थापित किया गया था और साबित किया गया था और यहां तक कि प्रो-नोट का निष्पादन भी स्थापित किया गया था-परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के खिलाफ प्रो-नोट के लिए गवाह की गैर-परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है-एक परक्राम्य लिखत में विचार करने का अनुमान है-इस तरह के अनुमान का खंडन किया जा सकता है, हालांकि, प्रतिवादी के नेतृत्व में कोई खंडन साक्ष्य नहीं है-उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दोनों विधि पर अस्थिर है क्योंकिs.100-दूसरी अपील।

/

/

/

/

सिविल प्रक्रिया संहिता -s.100-दूसरी अपील-जब तक कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते हैं, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।100 सीपीसी।

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** निष्पादन पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे

/

554 ए.

555

कपिल कुमार बनाम राज कुमार ए

वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट।उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर थे।इसलिए, जब तक कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते, तब तक सी. पी. सी. की धारा **100** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए विधि के सारगर्भित प्रश्न को भी विधि का ऐसा प्रश्न नहीं कहा जा सकता है जो विधि का बहुत कम सारगर्भित प्रश्न है।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या वादी ने ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रो-नोट और रसीद के निष्पादन को साबित किया है।उपरोक्त को तथ्यों का प्रश्न कहा जा सकता है और इसे विधि का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को परेशान करने में बहुत गंभीर गलती की। **[**पैरा **5.1] [559-**डी-जी**]2.** अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है।प्रो-नोट पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर को वादी द्वारा हस्तलेखन विशेषज्ञ-पीडब्लू**2** की जांच करके स्थापित और साबित किया गया है।प्रतिवादी द्वारा सर्वनाम पर अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई विपरीत सबूत नहीं दिया गया है।यहां तक कि वादी द्वारा विलेख लेखक-पीडब्लू **3** की जांच करके प्रो-नोट के निष्पादन को भी

स्थापित किया गया है।अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** वादी के खिलाफ प्रो**-**नोट के लिए गवाह की गैर**-**पूछताछ नहीं की जा सकती है।यह ध्यान दिया जाता है कि एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **118** के प्रावधान के अनुसार परक्राम्य लिखत **[**धारा **118 (**ए**)]** में विचार का अनुमान है।हालाँकि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है**,** हालाँकि**,** प्रतिवादी द्वारा कोई खंडन साक्ष्य नहीं दिया जाता है।इसलिए**,** उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार करने और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में गलती की।**[**पैरा **6** और **6.1] [559-**जी**-**एच**; 560-**ए**,** बी**-**डी**]**

/

/

/

/

/

/

एम. एस. नारायण मेनन उर्फ मणि बनाम केरल राज्य

और एन. आर. (2006) 6 एससीसी 39:[2006] 3 पूरक।एस. सी. आर. 124-संदर्भित।

/

556 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

मिर्जा गोरगनी बनाम **(**फर्म**)** भोला मल निहाल चंद एयर

1934 लाहौर **293-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2006] 3 पूरक।एससीआर **124**

संदर्भित

पैरा **4.3**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 5854।

/

2016 के आर. एस. ए. सं. 1727 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

जयप्रकाश सोमानी, सुश्री शोभा सोमानी, रैनिश कुमार, सुश्री ममता रानी, मोहंती, अक्शा शोहर, सुश्री मंजू जेतली, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

भारत भूषण, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. पंजाब और हरियाणा उच्च विचारण न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2016 की नियमित दूसरी अपील संख्या 1727 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने मूल प्रतिवादी द्वारा की गई उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 5 लाख रुपये की वसूली के लिए मुकदमे का आदेश दिया गया है। 1,36,550-मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. इसमें अपीलार्थी-मूल वादी ने प्रतिवादी-मूल प्रतिवादी के खिलाफ रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। 1 लाख।यह वादी की ओर से मामला था कि प्रतिवादी ने रुपये की राशि उधार ली है। 29.06.2007 पर उससे 1 लाख रुपये और वादी के पक्ष में एक प्रो-नोट (प्रदर्शनी पी1) और रसीद (प्रदर्शनी पी2) भी निष्पादित किया है।प्रतिवादी ने प्रो-नोट के निष्पादन से इनकार किया और यह रुख अपनाया कि प्रतिवादी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया था और वास्तव में लेन-देन वादी के पिता के बीच था और प्रतिवादी ने वादी के पिता से उसके द्वारा उधार ली गई पूरी राशि का भुगतान किया था।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक मुद्दों को विरचित किया।

/

/

2.1 वादी ने चार गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम हैं-पीडब्लू1-कपिल कुमार (वादी), पीडब्लू2-यशपाल चंद (लिखावट और फिंगर प्रिंट ए।

/

/

कपिल कुमार बनाम राज कुमार [एम. आर. शाह, जे. ए.

विशेषज्ञ), पीडब्लू 3-सतीश कुमार (विलेख लेखक) और पीडब्लू 4-सत नारायण (कानूनी नोटिस साबित करने के लिए क्लर्क)।

2.2 प्रतिवादी ने तीन गवाहों, डी. डब्ल्यू. 1-दिनेश कुमार (क्लर्क सह कैशियर, बैंक खाते में राशि जमा करने को साबित करने के लिए एस. बी. आई.), डी. डब्ल्यू. 2-राज कुमार (प्रतिवादी) और डी. डब्ल्यू. 3-फूल सिंह पुत्र पूरन सिंह (वादी के पिता) से पूछताछ की।

/

2.3 साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित प्रो-नोट के निष्पादन पर विश्वास किया और परिणामस्वरूप मुकदमे का फैसला सुनाया।विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया है, केवल इस आधार पर कि प्रो-नोट के लिए गवाह को प्रमाणित करने की जांच नहीं की गई है, इसलिए प्रो-नोट की सामग्री साबित नहीं हुई है और परिणामस्वरूप दूसरी अपील की अनुज्ञात गई है।

/

/

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर नीचे दोनों अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को परेशान करने और/या रद्द करने में गलती की है।

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तथ्यों पर निष्कर्ष दोनों अदालतों द्वारा वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर दर्ज किए गए थे, जो कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर थे, विशेष रूप से, पीडब्लू 3 की गवाही, तो सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी।

/

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पी. डब्ल्यू. 3 के बयान को समग्र रूप से माना जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू. 3-विलेख लेखक ने विशेष रूप से कहा है कि जब उसने

प्रतिवादी से पूछा कि क्या उसे पैसा मिला था तो प्रतिवादी ने पैसे की रसीद स्वीकार कर ली।यह मामले के उस दृष्टिकोण और पीडब्लू 1 के बयान में प्रस्तुत किया जाता है-वादी और विलेख लेखक का बयान-पीडब्लू 3 प्रो-नोट का निष्पादन और यहां तक कि इसकी सामग्री भी।

/

558

/

[2022] 13 एस सी आर।

प्रो-नोट में उल्लिखित प्रतिफल का भुगतान स्थापित और सिद्ध किया गया है।इसलिए उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार करने और इसके परिणामस्वरूप विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी के प्रो-नोट पर हस्ताक्षर भी वादी द्वारा हस्तलेखन विशेषज्ञ-पीडब्लू 2 की जांच करके स्थापित और साबित किया गया है।

/

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन. आई. अधिनियम) की धारा 4 और विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने और विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करने का अनुरोध किया जाता है।

/

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए मूल प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि चूंकि वादी गवाह की प्रो-नोट पर जांच करके प्रो-नोट के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया है।

/

4.1 प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि मिर्जा गोरगनी के मामले में माना गया है

/

बनाम **(**फर्म**)** भोला मल निहाल चंद**;** ए**.** आई**.** आर **1934** लाहौर **293 (2)**

वचन पत्र के निष्पादन को साबित करने का भार वादी पर है, भले ही हस्ताक्षर स्वीकार किए गए हों और दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार किया गया हो।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वादी को भी उस विचार को साबित करना होता है जिसे वर्तमान मामले में वादी साबित करने में विफल रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एन. आई. अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत अनुमान को आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रो-नोट का निष्पादन साबित नहीं हुआ है।

/

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि प्रो-नोट के लिए गवाह की गैर-परीक्षा वादी के मामले के लिए घातक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

/

एम**.** एस**.** नारायण मेनन उर्फ मणि बनाम केरल राज्य और अन्न**.**

(2006) 6 एस**.** सी**.** सी**. 39** परक्राम्य लिखत के मामले में प्रासंगिक साक्ष्य को रोकने के मामले में ए के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

/

559

कपिल कुमार बनाम राज कुमार [एम. आर. शाह, जे. ए.

व्यक्ति और अनुमान का खंडन संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर किया जा सकता है।

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मुकदमे का आदेश देते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और निष्कर्षों को देखा है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को भी देख चुके हैं।हमने दोनों पक्षों द्वारा जांचे गए प्रासंगिक गवाहों के बयान सहित रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है।

/

/

5.1 प्रारम्भ में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे।उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर थे।इसलिए, जब तक कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते, तब तक सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए विधि के सारगर्भित प्रश्न को भी विधि का ऐसा प्रश्न नहीं कहा जा सकता है जो विधि का बहुत कम सारगर्भित प्रश्न है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विधि का कोई विशिष्ट सारवान प्रश्न नहीं विरचित गया है।हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या वादी ने ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रो-नोट और रसीद के निष्पादन को साबित किया है।उपरोक्त को तथ्यों का प्रश्न कहा जा सकता है और इसे विधि का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट के निष्पादन पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को परेशान करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

/

/

/

6. अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।प्रो-नोट पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर को वादी द्वारा हस्तलेखन विशेषज्ञ-पीडब्लू2 की जांच करके स्थापित और साबित किया गया है।प्रतिवादी द्वारा प्रो-नोट पर अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई विपरीत सबूत नहीं दिया गया है।यहां तक कि प्रो-नोट का निष्पादन भी वादी द्वारा स्थापित किया गया है

/

/

विलेख लेखक की जाँच करना-पी. डब्ल्यू. 3.अब जहाँ तक प्रो-नोट में उल्लिखित विचार का संबंध है, पीडब्लू1 और पीडब्लू3 के बयानों में कुछ मामूली विरोधाभास हो सकते हैं।हालाँकि, उसी समय यदि समग्र रूप से पीडब्लू 3 के बयान पर विचार किया जाता है, तो प्रतिपरीक्षा में

यह पता चला है कि जब विलेख लेखक ने प्रतिवादी से पूछा कि उसे विचार प्राप्त हुआ है, तो उसने उसे स्वीकार कर लिया है।

/

6.1 अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाले मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वादी के खिलाफ प्रो-नोट के लिए गवाह की गैर-पूछताछ नहीं की जा सकती है।इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 118 के प्रावधान के अनुसार परक्राम्य लिखत [धारा 118 (ए)] में विचार का अनुमान है।यह सच है कि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है।हालाँकि, प्रतिवादी के नेतृत्व में कोई खंडन साक्ष्य नहीं है।इन परिस्थितियों अंतर्गत भी उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार करने और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अपास्त करते हुए करने और रद्द करने अंतर्गत गलती की है।

/

/

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि के साथ-साथ तथ्यों दोनों पर अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग रखने का अधिकार है और इसे तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मुकदमे का आदेश देने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)

/

/

/